न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 19/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–
1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर
2. सहायक अभियन्ता, पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग, किशनगढबास

:——— प्रतिवादीगण/अपीलांटस

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल पुत्र बालाबक्स
2. मु0 सलोचना बेवाह रामबिलास
3. सुनीता पुत्री रामबिलास
4. अनिता पुत्री रामबिलास
5. प्रेमलता पुत्र रामबिलास
6. संदीप कुमार पुत्र रामबिलास
7. प्रमोद कुमार पुत्र रामबिलास

समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम फतियाबाद हाल आबाद खैरथल मण्डी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:——— वादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा व डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), किशनगढबास दिनांक 8.12.2014

उपस्थित :–
1. वकील अपीलांटस :– सर्व श्री राजबहादुर सिंह, विनोद कुमार
2. वकील रेस्पो0 :– श्री निर्मल कुमार जैन

निर्णय

दिनांक 17.12.2015

Scanned by CamScanner

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) किशनगढबास द्वारा राजस्व वाद संख्या 420/483 उनवान ओमप्रकाश वगैरा बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 8.12.2014 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादीगण रेस्पो0 का दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 डिक्री किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पो0 ने तहत न्यायालय में दावा पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा एक बीघा एक बिस्वा वाके ग्राम फतियाबाद तहसील किशनगढबास का खातेदार वादीगण के पूर्वज दादा अलाबक्स था । जब वादीगण मृतक रामबिलास की विरासत दर्ज कराने गये तो पता चला कि उक्त आराजी का रकबा एक बीघा एक बिस्वा को घटाकर मात्र 12 बिस्वा वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया गया है तथा शेष रकबा 09 बिस्वा पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा यह दावा डिक्री किया है, जिसके विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से यह अपील पेश की गई है ।

3. राज्य सरकार (अपीलांटस) की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान वकील अपीलांट (राजकीय अभिभाषक) का सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर कहना है कि अपीलाधीन आदेश की नकल लेने एवं उच्चाधिकारियों से अपील पेश करने की अनुमति लेने में समय लग गया । इसलिये अपील अन्दर मियाद पेश नहीं की जा सकी थी । अतः इन कार्यवाहियों के कारण अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे मेरिटस पर तर्क दिये कि वादीगण ने अपने दावे में गलत तथ्य अंकित किये हैं । वास्तविकता यह है कि आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा में से रकबा 09 बिस्वा भूमि जरिये इन्तकाल संख्या 66 से अवाप्त होकर पी0 डब्ल्यू0 डी0 के नाम सडक हेतु दर्ज हुई है । शेष रकबा 12 बिस्वा ओमप्रकाश व अन्य वादीगण रेस्पो0 के पिता रामबिलास के नाम दर्ज रेकार्ड है । अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा भी तत्कालीन खातेदार को दिया जा चुका है । इस प्रकार विवादित भूमि का रकबा 09 बिस्वा पी0 डब्ल्यू0 डी0 के नाम सही प्रकार से दर्ज किया गया है । इस रकबा से वादीगण रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है । परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई गौर नहीं किया । तहसीलदार द्वारा गलत मौका रिपोर्ट पेश की गई है । हमने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपने पक्ष की तनकियात साबित कराई है । विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील वादीगण रेस्पो0 का बहस में तर्क है कि यह अपील मियाद बाहर पेश की गई है । देरी का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है । अतः मियाद बिन्दू पर ही अपील खारिज की जावे । विवादित भूमि हमारे पूर्वजों की खातेदारी की भूमि है । इस आराजी का कुल रकवा 01 बीघा 01 बिस्वा था । परन्तु इसका रकबा घटाकर 12 बिस्वा तो हमारी खातेदारी दर्ज कर दिया तथा शेष रकवा 09 बिस्वा पी0 डब्ल्यू0 डी0 के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया । अवाप्ति की कोई कार्यवाही नहीं हुई और ना ही पी0 डब्ल्यू0 डी0 द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की । अगर अवाप्ति की कार्यवाही हुई थी तो फिर कब्जा क्यों नहीं लिया गया । कब्जा हमारे पास ही है । तहसीलदार की मौका रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर ने अपनी विभिन्न नजीरों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाकर अपीलांटस द्वारा की गई देरी को कंडोन किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6. इसके पश्चात प्रकरण की मेरिटस पर गौर किया । जमाबन्दी सम्वत 2064 प्रदर्श –11 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 60/1 रकबा 15 एयर पर ओमप्रकाश वगैरा को खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12 एयर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम अंकित किया हुआ है । मौका रिपोर्ट दिनांक 9.10.2012 में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम फतियाबाद मौके पर खाली है । करीबन 0.01 हेक्टेयर में कपास है । इस नम्बर में सडक नहीं है । खतौनी बंदोबस्त (जमाबन्दी) सम्वत 2029 प्रदर्श–1 में आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा पर बालाबक्स पुत्र सोहनलाल कौम अग्रवाल महाजन साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है । जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2032 प्रदर्श – 2 में भी इसी प्रकार का अंकन किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2036 प्रदर्श–3 में आराजी खसरा नम्बर 60/1 रकबा 12 बिस्वा पर मदनलाल पुत्र बालाबक्स कौम अग्रवाल महाजन साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 60/2 रकबा 09 बिस्वा को पी0 डब्ल्यू0 डी0 के नाम दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2057 प्रदर्श–4 में खसरा नम्बर 60/1 रकबा 15 एयर पर मदनलाल पुत्र बालाबक्स को खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 60/2 रकबा 12 एयर को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नार्म दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2061–64 प्रदर्श–5 में खसरा नम्बर 60/1 रकबा 15 एयर पर रामबिलास, ओमप्रकाश पुत्रान मदनलाल अग्रवाल महाजन साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है । यह आराजी रामबिलास के स्थान पर वादीगण रेस्पो0 के नाम विरासत से दर्ज होने का नोट लाल स्याही से किया हुआ है । कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त प्रथम, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 20–21 दिनांक 29.4.2009 में अंकित किया है कि आराजी निर्माण सडक खैरथल से फतियाबाद नाम से दर्ज है, लेकिन ग्राम फतियाबाद की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है । ग्राम फतियाबाद के खसरा नम्बर 60/2 रकबा 0.09 बिस्वा भूमि किस कारण गैर मुमकिन सडक दर्ज की गई है, इस बाबत कार्यालय पत्रावली में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखंड किशनगढबास (अलवर) द्वारा सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), किशनगढबास को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 422 दिनांक 1..7.2014 में अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 60/1–01 का रकबा ग्राम फतियाबाद में कोई सडक नहीं है । उक्त खसरा नम्बर खाली है । यह सडक के लिये अवाप्त ही नहीं की गई है । कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । हमारे विभाग द्वारा इस खसरा नम्बर में कोई सडक का निर्माण नहीं किया गया है ।

7. उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम फतियाबाद तहसील बानसूर वादीगण रेस्पो0 के बुजुर्ग बालाबक्स की खातेदारी की थी । इस सम्पूर्ण रकबे 01 बीघा 01 बिस्वा पर बालाबक्स की

Scanned by CamScanner

खातेदारी सम्वत 2032 तक चलती रही है, परन्तु अचानक सम्वत 2036 में इस आराजी का रकबा कम करते हुये बटा नम्बर डालकर खसरा नम्बर 60/1 रकबा 12 बिस्वा पर तो बालाबक्स के पुत्र मदनलाल को खातेदार दर्ज कर दिया गया और खसरा नम्बर 60/2 रकबा 09 बिस्वा को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिया गया । यह भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम कैसे दर्ज हुई, यह बताने में स्वयं सार्वजनिक निर्माण विभाग विफल रहा है । स्वयं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी उपरोक्त रिपोर्टो दिनांक 29.4.2009 एवं 1.7.2014 में बताया है कि विवादित भूमि में कोई सडक नहीं है, यह भूमि सडक हेतु अवाप्त नहीं की गई है और ना ही मुआवजा दिया गया है । तहसील कार्यालय की मौका रिपोर्ट दिनांक 9.10.2012 में भी बताया गया है कि भूमि मौके पर खाली है, रकबा 0.01 में कपास बो रखी है, मौके पर कोई सडक नहीं है । इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि विवादित भूमि सडक हेतु अवाप्त नहीं की गई है और ना ही किसी प्रकार का कोई मुआवजा ही दिया गया है । वादीगण रेस्पो0 की खातेदारी का कुल रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा था,जिसमे से 09 बिस्वा रकबा कम करके सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दिया, जो कि न्यायोचित नहीं है । वादीगण रेस्पो0 अपनी खातेदारी के रकबे को पूरा कराने का अधिकारी है । विद्वान तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में जो तनकीवार विवेचना की है, वह विधिसम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 8.12.2014 यथावत रखे जाते हैं ।

9. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 19/2015 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–
1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर
2. सहायक अभियन्ता, पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग, किशनगढबास

:——— प्रतिवादीगण/अपीलांटस

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल पुत्र बालाबक्स
2. मु0 सलोचना बेवाह रामबिलास
3. सुनीता पुत्री रामबिलास
4. अनिता पुत्री रामबिलास
5. प्रेमलता पुत्र रामबिलास
6. संदीप कुमार पुत्र रामबिलास
7. प्रमोद कुमार पुत्र रामबिलास

समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम फतियाबाद हाल आबाद खैरथल मण्डी तहसील किशनगढबास जिला अलवर ।

:——— वादीगण रेस्पो0

अपील विरूद्ध आज्ञा व डिक्री सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), किशनगढबास दिनांक 8.12.2014

———————————————

उपस्थित :–
1. वकील अपीलांटस :– सर्व श्री राजबहादुर सिंह, विनोद कुमार
2. वकील रेस्पो0 :– श्री निर्मल कुमार जैन

पर्चा डिक्री ——— दिनांक 17..12.2015 ———

अपील अपीलांटस खारिज की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री दिनांक 8.12.2014 यथावत रखे जाते हैं ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner